संख्या-1/2024/04ई-2/तेरह-2024-501650

प्रेषक

उमेश कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 04 जनवरी,2024

विषय:-नवीन इकाई मेसर्स कामधेनु कैटिल फीड्स प्रा.लि.(यूनिट-3), 806, फतेहपुर रोशनाई, रनिया, कानपुर देहात की वास्तविक शीरा उपभोग क्षमता के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-44/दस-140सी(397)/वा.शी.उ./कामधेनु-3/का.दे./ 2022-23, दिनांक 27-12-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 27-12-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत नवीन इकाई मेसर्स कामधेनु कैटिल फीड्स प्रा.लि. (यूनिट-3), 806, फतेहपुर रोशनाई, रनिया, कानपुर देहात की वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता कुल 6,91,200 कुंतल निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(क) किसी भी दशा में चीनी मिल एवं खाण्डसारी शीरा को मिश्रित रूप से भण्डारित नहीं किया जायेगा।

(ख) इकाई शीरा संचय टैंकों का गेज चार्ट नियमानुसार अनुमोदित करायेगी।

(ग) इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत कंसेंट टू आपरेट अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 25-04-2023 एवं अग्निशमन विभाग के औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 10-10-2023 में उल्लिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।